युवा कार्य और खेल मंत्रालय

मांग संख्या 105

युवा कार्य और खेल मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		673.24	79.97	753.21	670.24	87.23	757.47	888.25	89.04	977.29
पूंजी		*26.76*	*0.03*	*26.79*	*29.76*	*70.24*	*100.00*	*1.75*	*132.77*	*134.52*
जोड़		**700.00**	**80.00**	**780.00**	**700.00**	**157.47**	**857.47**	**890.00**	**221.81**	**1111.81**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	...	9.33	9.33	...	9.33	9.33	...	9.87	9.87
खेल और युवा सेवाएं										
युवा कल्याण योजनाएं										
2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन	2204	58.50	20.27	78.77	29.78	21.94	51.72	68.00	22.00	90.00
3. राष्ट्रीय सेवा योजना	2204	6.00	3.63	9.63	7.35	3.63	10.98	9.00	3.99	12.99
	3601	41.00	2.76	43.76	45.15	2.30	47.45	76.88	2.60	79.48
	3602	1.00	0.16	1.16	0.10	0.01	0.11	0.12	0.01	0.13
	जोड़	*48.00*	*6.55*	*54.55*	*52.60*	*5.94*	*58.54*	*86.00*	*6.60*	*92.60*
4. राष्ट्रीय अनुशासन योजना	3601	...	1.00	1.00	...	3.67	3.67	...	3.67	3.67
5. राष्ट्रीय स्वंयसेवी योजना										
5.1 राष्ट्रीय सेवा स्वंयसेवी योजना	2204	13.50	...	13.50	8.00	...	8.00	14.00	...	14.00
5.2 राष्ट्रीय सद्भावना योजना	2204	8.00	...	8.00	5.00	...	5.00	8.50	...	8.50
	जोड़	*21.50*	*...*	*21.50*	*13.00*	*...*	*13.00*	*22.50*	*...*	*22.50*
6. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम										
6.1 युवा कार्यकलाप और प्रशिक्षण	2204	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	1.30	...	1.30
संवर्धन	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
6.2 राष्ट्रीय एकता का संवर्धन	2204	9.50	...	9.50	7.30	...	7.30	5.20	...	5.20
	3601	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
6.3 किशोर विकास और अधिकारिता हेतु सहायता	2204	15.30	...	15.30	12.50	...	12.50	11.40	...	11.40
6.4 साहासिक गतिविधियों को प्रोत्साहन	2204	3.10	0.50	3.60	3.60	...	3.60	4.15	0.50	4.65
	जोड़	*33.40*	*0.50*	*33.90*	*28.90*	*...*	*28.90*	*24.55*	*0.50*	*25.05*
7. युवा होस्टल	2204	0.25	...	0.25	0.60	...	0.60	0.25	...	0.25
	4202	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*1.25*	*...*	*1.25*	*3.60*	*...*	*3.60*	*1.25*	*...*	*1.25*
8. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	2204	8.00	0.65	8.65	8.00	0.65	8.65	9.00	0.65	9.65
9. स्काउट और गाईड	2204	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	3.00	...	3.00
10. अंतराष्ट्रीय सहयोग	2204	3.00	0.85	3.85	3.00	0.85	3.85	3.50	0.85	4.35
11. संयुक्त राष्ट्र के स्वंयसेवियों को अंशदान	2204	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
12. राष्ट्रीय स्वस्थ्यता कोर	2204	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
जोड़-युवा कल्याण योजनाएं		***175.45***	***29.93***	***205.38***	***140.68***	***33.15***	***173.83***	***217.80***	***34.38***	***252.18***
क्रीड़ा और खेल-कूद										
13. भारतीय खेल प्राधिकरण	2204	152.15	29.42	181.57	120.00	32.96	152.96	148.00	33.00	181.00
14. लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	2204	15.00	6.00	21.00	15.00	6.00	21.00	22.00	6.00	28.00
15. पुरस्कार संबंधी योजनाएं										
15.1 छात्रवृत्ति	2204	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
15.2 पुरस्कार	2204	3.00	...	3.00	17.00	...	17.00	3.00	...	3.00
15.3 सराहनीय कार्य हेतु पेंशन (नया)	2204	...	...	...	...	...	...	2.50	...	2.50
15.4 ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम	2204	51.00	...	51.00	20.75	...	20.75	...	...	...
	जोड़	*60.00*	*...*	*60.00*	*43.75*	*...*	*43.75*	*11.50*	*...*	*11.50*
16. खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन योजना										
16.1 राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता	2204	51.49	3.00	54.49	54.49	3.00	57.49	51.00	3.00	54.00
16.2 प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण	2204	8.00	...	8.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
संबंधी योजना	*जोड़*	*59.49*	*3.00*	*62.49*	*57.49*	*3.00*	*60.49*	*56.00*	*3.00*	*59.00*
17. विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में खेलों का संवर्धन	2204	5.40	...	5.40	4.69	...	4.69	8.00	...	8.00
18. राष्ट्रमंडल खेल 2010										
18.1 भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) स्टेडियमों का नवीकरण	2204	119.99	...	119.99	200.00	...	200.00	172.00	...	172.00
	3601	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
18.2 अखिल भारतीय टेनिस संघ	2204	5.00	...	5.00	12.51	...	12.51	7.00	...	7.00
18.3 टीमें तैयार करना	2204	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
18.4 स्थल का उन्नयन/सृजन	2204	...	...	...	...	...	...	15.00	...	15.00
18.5 अतिरिक्त भार (एसएआई, एआईटीए और भारतीय ओलंपिक संघ)	6202	25.00	...	25.00	25.00	70.21	95.21	...	132.74	132.74
(आयोजक समिति)	*जोड़*	*150.00*	...	*150.00*	*237.51*	*70.21*	*307.72*	*224.00*	*132.74*	*356.74*
19. राष्ट्रीय खेल विकास निधि (प्रोत्साहनों की योजना का पूर्ववर्ती भाग)	2204	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.25	...	4.25
20. डोपिंग रोधी गतिविधियां										
20.1 राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला	2204	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00
20.2 राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी	2204	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	2.25	...	2.25
20.3 विश्व डोप रोधी एजेंसी	2204	1.00	...	1.00	0.37	...	0.37	0.50	...	0.50
	जोड़	*2.50*	...	*2.50*	*5.87*	...	*5.87*	*6.75*	...	*6.75*
21. पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल	2204	...	...	...	...	...	...	60.00	...	60.00
अभियान	3601	...	...	...	...	...	...	50.50	...	50.50
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*110.50*	...	*110.50*
22. नगर पालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	2204	...	...	...	...	...	...	9.00	...	9.00
23. राज्य खेल अकादमी	4202	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
24. विकलांगों में खेल संवर्धन	2204	5.00	...	5.00	...	...	...	5.00	...	5.00
25. खिलाड़ियों हेतु राष्ट्रीय कल्याण निधि	2204	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
26. अर्जुन पुरस्कार	2204	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55
27. ध्यानचंद पुरस्कार	2204	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
28. द्रोणाचार्य पुरस्कार	2204	...	0.16	0.16	...	0.16	0.16	...	0.16	0.16
29. एनसीसी/सरकारी रिहायशी विद्यालयों को शारीरिक शिक्षा अनुदान	2204	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
30. राष्ट्रीय महिला खेल प्रतियोगिता	2204	...	0.60	0.60	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10
31. अन्य पूंजी व्यय	4202	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
जोड़-क्रीड़ा एवं खेलकूद		***454.55***	***40.01***	***494.56***	***489.32***	***114.26***	***603.58***	***605.00***	***176.83***	***781.83***
32. अन्य कार्यक्रम	2204	...	0.73	0.73	...	0.73	0.73	...	0.73	0.73
33. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान										
युवा कल्याण योजनाएं										
33.01 नेहरू युवा केंद्र संगठन	2552	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
33.02 राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम										
33.02.01 युवा गतिविधियां तथा प्रशिक्षण को प्रोत्सहान	2552	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.20	...	0.20
33.02.02 राष्ट्रीय एकता का संवर्धन	2552	1.50	...	1.50	0.65	...	0.65	0.80	...	0.80
33.02.03 किशोरों के विकास और अधिकारिता हेतु सहायता	2552	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	0.60	...	0.60
33.02.04 साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहन	2552	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.35	...	0.35
	जोड़	*5.10*	...	*5.10*	*4.25*	...	*4.25*	*1.95*	...	*1.95*
33.03 स्काऊट और गाईड	2552	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	...	...	...
33.04 राष्ट्रीय स्वयंसेवी योजना										
33.04.01 राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी योजना	2552	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
33.04.02 राष्ट्रीय सद्भावना योजना	2552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*2.50*	...	*2.50*	*2.50*	...	*2.50*	*2.50*	...	*2.50*
33.05 युवा छात्रावास	4552	0.75	...	0.75	1.75	...	1.75	0.75	...	0.75
33.06 राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33.07 राष्ट्रीय सेवा योजना	2552	6.00	...	6.00	5.85	...	5.85	9.00	...	9.00
जोड़-युवा कल्याण योजनाएं		***24.55***	***...***	***24.55***	***24.55***	***...***	***24.55***	***24.20***	***...***	***24.20***
खेल और शारीरिक शिक्षा										
33.08 भारतीय खेल प्राधिकरण	2552	30.85	...	30.85	30.85	...	30.85	17.00	...	17.00
33.09 खिलाडियों को प्रोत्साहन										
33.09.01 छात्रवृत्ति	2552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
33.09.02 पुरस्कार	2552	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	1.00	...	1.00
33.09.03 सराहनीय कार्य हेतु पेंशन (नया)	2552	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
33.09.04 ग्रामीण खेल कार्यक्रम	2552	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
	जोड़	*6.30*	...	*6.30*	*6.30*	...	*6.30*	*2.50*	...	*2.50*
33.10 खेल में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन के लिए सहायता										
33.10.01 राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता	2552	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	3.00	...	3.00

(करोड़ रुपए)

		बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
33.10.02 प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण	2552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
योजना	*जोड़*	*7.00*	...	*7.00*	*7.00*	...	*7.00*	*3.00*	...	*3.00*
33.11 विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्व-विद्यालयों में खेल में प्रोत्साहन हेतु अनुदान	2552	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	1.00	...	1.00
33.12 विकलागों में खेलों को प्रोत्साहन	2552	0.70	...	0.70	0.70	...	0.70	...	...	...
33.13 लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	2552	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
33.14 राष्ट्रीय खेल विकास निधि	2552	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
33.15 पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	2552	...	...	...	...	...	...	14.50	...	14.50
33.16 नगर पालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	2552	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़-खेल और शारीरिक शिक्षा		***45.45***	***...***	***45.45***	***45.45***	***...***	***45.45***	***43.00***	***...***	***43.00***
जोड़-पूर्वोत्तर क्षेत्र		*70.00*	...	*70.00*	*70.00*	...	*70.00*	*67.20*	...	*67.20*
कुल जोड़		***700.00***	***80.00***	***780.00***	***700.00***	***157.47***	***857.47***	***890.00***	***221.81***	***1111.81***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. खेल और युवा कार्य	22204	630.00	...	630.00	630.00	...	630.00	822.80	...	822.80
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	67.20	...	67.20
जोड़		**700.00**	**...**	**700.00**	**700.00**	**...**	**700.00**	**890.00**	**...**	**890.00**

1. **सचिवालय सामाजिक सेवाः** सचिवालय व्यय के लिए उपलब्ध कराती है ।

2 **नेहरु युवा केन्द्र संगठनः** नेहरु युवा केन्द्र संगठन, जो मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय है, बुनियादी स्तर का सबसे बड़ा गैर-राजनैतिक संगठन है जो 13-35 वर्ष के आयु वग के8 मिलियन गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं, जो 2.58 मिलियन समुदाय आधारित युवा क्लबों के जरिए नामांकित किए गए हैं, की जरुरतों को पूरा करता है । यह गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं के क्षेत्र में गतिविधियों को गतिशील बनाने व विकसित करने के प्रमुख अंश हेतु सरकार के कार्यान्वयन के रुप में कार्य करता है ।

नेहरु युवा केन्द्र संगठन के 46 क्षेत्रीय तथा 18 आंचलिक कार्यालय हैं जो देश के 500 जिलों में कार्यरत हैं । शेष 123 जिलों में इसकी गतिविधियों का विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

3 **राष्ट्रीय सेवा योजनाः** राष्ट्रीय सेवा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य स्कूलों और कालेजों में युवा छात्रों के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना है । यह योजना राज्य सरकारों के जरिए कार्यान्वित की जाती है तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्य विश्वविद्यालय, कालेज तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर होते हैं । राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य छात्रों की सामाजिक भावना को विकसित करना है और गांव और गंदी बस्तियों के लोगों के साथ काम करने के लिए अवसर प्रदान करना है । योजना का व्यय भारत सरकार तथा राज्य के बीच बांटा जाता है, सिवाय जम्मू व कश्मीर सरकार तथा विधान सभा रहित केन्द्र शासित राज्यों के मामले में जहां सारा खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है । इसके दो प्रकार के कार्यक्रम हैं जो इसके स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जाते हैं अथात ''नियमित गतिविधियां'' तथा ''विशेष शिविर कार्यक्रम" । 2008-09 के दौरान एक प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय सेवा योजना की ''नियमित गतिविधि" तथा ''विशेष शिविर कार्यक्रम" के लिए लागत मानदंड को यथानुपात बढ़ाने और केन्द्र तथा राज्य सरकार/केन्द्र शासित सरकार के बीच वित्तपोषण में परिवर्तन की मांग की जाए ।

4 **राष्ट्रीय अनुशासन योजनाः** योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार तत्कालीन राष्ट्रीय फिटनेस कोर योजना के अंतर्गत एनडीएस अनुदेशकों के वेतन तथा भत्तों पर होने वाले व्यय और अन्य आकस्मिक खचों की प्रतिपूर्ति करती है ।

5 **राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजनाः** योजना का उद्देश्य युवाओं को अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वे पूर्णकालिक आधार पर एक विशिष्ट अवधि के लिए राष्ट्रनिर्माण की गतिविधियों में अपने आपको स्वैच्छिक आधार पर शामिल कर सकें । स्वयंसेवकों को वजीफा, भोजन एवं आवास तथा यात्रा भत्ता प्रदान करने के लिए प्रावधान है ।

6. **राष्ट्रीय युवा तथा किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम** : प्रस्तावित अम्ब्रेला योजना 10 वीं योजना के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की चार 100% केन्द्रीय क्षेत्र सहायता अनुदान योजनाओं को मिलाकर तैयार की जा रही है, नामतः युवा गतिविधियों का संवर्धन व विकास, राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहासिक गतिविधियों का संवर्धन और किशोरों का विकास तथा सशक्तीकरण, ताकि ऐसे उद्देश्यों के साथ योजनाओं की गुणात्मकता कम की जा सके, वित्त पोषण पैटर्न तथा कार्यान्वयन कार्य प्रणाली में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके । क्षेत्रीय स्तर पर धन की उपलब्धता में विलम्ब को दूर किया जा सके, परियोजना को संस्थागत बनाया जा सके । जबकि कार्यप्रणाली के प्रचालन तथा कार्यक्रम सुपुर्दगी में सहयोग तथा अभिसरण होगा, परंतु योजना के अंतर्गत प्रत्येक घटकों के पैरामीटरों के बारे में स्पष्ट भेद होगा । कार्यक्रम के लक्ष्यगत लाभार्थी से तात्पर्य युवा तथा किशोर हैं ।

7. **युवा छात्रावास** : युवा छात्रावासों का निर्माण देश के अंदर युवा यात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है । युवा छात्रावासों के निर्माण को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में माना गया है । केन्द्र सरकार युवा छात्रावासों के निर्माण की लागत वहन करती है । युवा छात्रावासों के लगातार चल रहे निर्माण के लिए होने वाले व्यय को वहन करने के लिए प्रावधान किया गया है ।

8. **राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान** : इसकी स्थापना 1983 में श्री पेरम्बदूर (तमिलनाडु) में एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गयी थी जो सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है और पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है । यह देश में युवा संबंधी सभी गतिविधियों के प्रशिक्षण, प्रलेखन, अनुसंधान और मूल्यांकन तथ विस्तार के लिए जिम्मेदार है ।

9. **स्काउट और गाईड** : प्रशिक्षण शिविरों, कौशल विकास, कार्यक्रमों आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए भारत स्काउट्स और गाइड्स को वित्तीय सहायता के लिए प्रावधान है ।

10. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आई सी)** : अंतरराष्ट्रीय युवा आदान- प्रदान कार्यक्रम के लिए प्रावधान है ।

11. **संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवकों को योगदान** : संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवकों को योगदान देने के लिए प्रावधान है ।

सं.105 / युवा कार्य और खेल मंत्रालय

12. **राष्ट्रीय स्वस्थ्यता कोर** : तत्कालीन राष्ट्रीय फिटनैस कोर के संदर्भ में किसी भी लंबित जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रावधान है ।

13. **भारतीय खेल प्राधिकरण** : भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में विभिन्न आयु वर्गों के प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने और उनका पोषण करने के दो उद्देश्यों के साथ की थी ताकि उन्हें अपेक्षित अवसंरचना, और उपस्कर सहायता, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने उत्कृष्टता हासिल की जा सके । भारतीय खेल प्राधिकरण स्टेडियमों के रख-रखाव व उपयोग के लिए भी जिम्मेदार है जिनका निर्माण/नवीकरण दिल्ली में नवम एशियाई खेलों के दौरान हुआ था ।

दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के संदर्भ में, अवसंरचना समर्थन प्रदान करने और खिलाड़ियों की तैयारी में भारतीय खेल प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

14. **लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान** : लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान 1957 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था और 1995 में इसे मानद विश्वविद्यालय' के रूप में उन्न्त किया गया है । अब एलएनआइपीइ के क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है । संस्थान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वायत्तशासी संगठन है, जो कि भारत सरकार द्वारा पूणतः वित्तपोषित है ।

15 **खिलाड़ियों को प्रोत्साहनः** योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और विश्वविद्यालय/कालेज स्तर के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उच्च उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहन के रुप में पुरस्कार दिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार दिए जाते हैंः ओलंपिक, विश्वकप, विश्व चैम्पियनशिप, एशियाइ राष्ट्रमंडल खेलों और पैराओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को पेंशन दी जाती है । सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बाद खिलाड़ी को 30 वर्ष की आयु से जीवनपर्यंत के लिए पेंशन दी जाती है । ग्रामीण खेल कार्यक्रम को हाल ही में आरंभ किए गए पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान में मिला दिया गया है ।

16 **खेल उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए सहायताः** मंत्रालय मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को विदेश में प्रशिक्षण तथा अंतरराष्ट्रीय टुर्नामेंटों में भाग लेने, भारत में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने और खेल उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । भाखेप्रा को भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, राष्ट्रीय टीमों की तैयारी और विदेशी कोचों की सेवाएं लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।

17 **स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों में खेलकूद का संवर्धनः** योजना के अंतर्गत खेलों के संवर्धन हेतु स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है ।

18 **राष्ट्रमंडल खेलः** राष्ट्रमंडल खेल, 2010, 3 से 14 अक्तूबर, 2010 तक दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे । भाखेप्रा स्टेडियम, टेनिस स्टेडियम के उन्नयन/नवीकरण, प्रशिक्षण स्थलों के उन्नयन/सृजन तथा खेलों के लिए टीमों की तैयारी के लिए बजट प्रावधान है । खेलों के आयोजन हेतु आयोजन समिति को ऋण देने के लिए भी प्रावधान किया गया है ।

19 **राष्ट्रीय खेल विकास निधिः** यह एक स्थायी निधि है जिसका प्रयोग सामान्यतः खेलों के संवर्धन तथा विशेष रुप से खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए किया जाता है । योजना सार्वजनिक-निजी सहभागिता पर आधारित है तथा भारत सरकार अन्य स्रोतों से प्राप्त योगदान का समतुल्य अनुदान प्रदान करती है ।

20 **डोप रोधी गतिविधियांः** प्रावधान, राष्ट्रीय डोप-परीक्षण प्रयोगशाला तथा राष्ट्रीय डोप-विरोधी एजेंसी स्थापित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय निकाय नामतः विश्व डोप विरोधी एजेंसी को योगदान देने के लिए है ।

21 **पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियानः** यह योजना ग्राम तथा ब्लाक पंचायत स्तर पर मूलभूत खेल सुविधाएं सृजित करने के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है । इसके अलावा, यह योजना जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु खेल उपस्कर प्राप्त करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है । विजेताओं को पुरस्कार राशी देने तथा खेल स्वंय सेवक (क्रीड़ा श्री) को कम वजीफा देने के लिए भी एक छोटा प्रावधान हैं।

22. **नगरपालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान** : इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से छोटे शहरों और उनमें जो अभावग्रस्त क्षेत्रों में हैं, मूल खेल अवसंरचना प्रदान करना है ।

23. **राज्य खेल अकादमी** : यह योजना राष्ट्रीय खेल निधि में मिला दी गयी है ।

24. **विकलांगों के बीच खेल संवर्धन** : यह प्रावधान विकलांगों में खेल के संवर्धन के लिए है ।

25. **खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि** : यह प्रावधान खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि को अनुदान देने के लिए है ।

26. **अर्जुन पुरस्कार** : यह प्रावधान विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्टता के लिए खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए है ।

27. **ध्यानचंद पुरस्कार** : यह प्रावधान जीवन पर्यन्त उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए है ।

28. **द्रोणाचार्य पुरस्कार** : यह पुरस्कार उत्कृष्ट प्रशिक्षक को दिया जाता है।

29. **एनसीसी/सरकारी आवासीय स्कूलों को शारीरिक शिक्षा अनुदान**: यह प्रावधान एनसीसी शिविरों का आयोजन करने के लिए अनुदान हेतु है ।

30. **महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप** : यह प्रावधान महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने के लिए है ।

31. **अन्य पूंजीगत व्यय** : यह प्रावधान पंचाट पुरस्कार, यदि कोई है, पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए है ।

32. **अन्य कार्यक्रम** : इस शीर्ष में प्रावधान मंत्रालय के सेमीनारों, बैठकों आदि की व्यवस्था करने के लिए है ।

33. **सिक्किम में उत्तर पूर्व की परियोजना/योजनाओं के लिए प्रावधान**: युवा कल्याण योजना और खेल-कूद के लिए सिक्किम सहित उत्तर पूर्व की विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 67.20 करोड़ रू0 की राशि चिन्हित की गई है ।

http://indiabudget.nic.in